संख्या 6/08/2018–एन.ई–I
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 16 मार्च, 2018

सूचना

विषय :– निगरानी समिति का गठन

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) सं0 103/2014 (याचिकाकर्त्ता श्री कर्मा दोरजी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 के परिपेक्ष्य में, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 6/5/2014–एनई–1 दिनांक 21.07.2017 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 6.2.2018 के तहत देश के विभिन्न भागों मे रहने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के नस्लीय भेद–भाव से संबंधित मामलों / शिकायतों की निगरानी व निपटान करने के उद्देश्य से एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है –

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव, (एनई), गृह मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	डा0 अलाना गोलमई, सचिव, नार्थ ईस्ट सर्पोट सैन्टर, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डा0 मिजूम न्योदू, सहायक प्रोफेसर, लॉ फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य

2. इस सूचना के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या समुदाय, जो देश के किसी भी भाग में नस्लीय दुर्व्यवहार/ नस्लीय अत्याचार/ नस्लीय हिंसा/ नस्लीय भेदभाव के किसी भी कृत्य से पीड़ित हैं, अथवा पीड़ित होने का दावा करते हैं, वो अपनी शिकायतें/ सुझावों को निम्नलिखित ई–मेल पर भेज सकते हैं–

ई मेल – ne.complaints@mha.gov.in

नीता गुप्ता
(नीता गुप्ता)
उप–सचिव (एन.ई.II)
☎ 011-23092956

सेवा में,

(क) सभी राज्यों / केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यापक प्रचार /प्रसार करने हेतु।
(ख) अनुभाग अधिकारी (आई.टी.) को गृह मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि –

ए.एन.आई. एवं विजन कम्युनिकेशन लि. को व्यापक प्रचार/प्रसार करने हेतु।